ग्राम पंचायत गाहलियाँ, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176029 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गाहलियाँ, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती रैना चौधरी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री जीवन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री हरदीप चन्द	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री पंकज कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत गाहलियां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	0.90
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	27.53
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.42
4	7.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	4.63
5	7.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	13.46
6	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.07
7	8.1	व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.11

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत गाहलियां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.04.2024 से 04.05.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03/2023	05/2022
2023–24	04/2023	06/2023

<u>अस्वीकरणः</u>–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/185 दिनांक 04.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/174 दिनांकः 29.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** पर दिया गया हैः–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	380001.32	716406.00	1096407.32	704537.00	391870.32
2023-24	391870.32	402094.00	793964.32	417799.00	376165.32

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तषेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2417840.80	5165985.00	7583825.80	4554784.00	3029041.80

2023-24	3029041.80	3953615.50	6982657.30	4230095.98	2752561.32

कुल योग (1+2) 376165.32+2752561.32 **=3128726.64**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹31,28,726.64/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट—3**" के अनुसार अन्तशेष ₹32,18,726.64 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित	का•के•सह•बैंक गाहलियां	20033022788	453430.32
2	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक गाहलियां	50055726593	0
3	एस.डी.पी/एम.एम. जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक गाहलियां	50055717635	170702
4	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक गाहलियां	20111026435	53315
5	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक गाहलियां	50055718016	89119
6	आर.जी.एस.ए	पी.एन.बी दौलतपुर	9835000100037484	0
7	आर.जी.एस.ए	इंडसइंड बैंक काँगड़ा	100167415010	325419
8	जेड.पी	का•के•सह•बैंक गाहलियां	20111028625	16214
9	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100358478260	2110491.32
	हस्तगत शेष			36
बैंक खातों व हस्तगत षेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः—				₹3218726.64
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—				₹3128726.64
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः—				₹3218726.64
अन्तरः—				₹90000

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.90 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गाहलियां द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की

अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹90,000/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/175 दिनांक 30.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांकः 04.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.सभा निधि	पी/7/ 04.05.2022	37/26.09. 2021	Installation Hand Pump Moter Ghandoor	55000

2.मनरेगा	निल / 17.05.2022	720 / 09. 11.2021	निर्माण ऐम्बुलेन्स रोड धीमान बसती से मेन रोड तक घंडू वार्ड.3	72948
3.मनरेगा	निल / 21.05.2022	730 / 24. 10.2021	निर्माण वाटर कोर्स ईश्वर दास के शौचालय से रूम्बल पेड–2 सिंह,हंस राज की जमीन में वार्ड–6	132860
4.एम.पी.लेड	01 / 28.06.2023	मस्टोल स:6881	निमार्ण उत्त कृष्ट विघालय साईंस लैब किचन बिलडिंग लेबर	83018

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव् को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 184 दिनांकः 04.05.2024 द्वारा अनुरोध् किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जा रहे है व अंकेक्षण अवधि की खाताबहियों को भी तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ड.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनो के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत गाहलियां द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग

अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी. एन.वाई,एम.पी.लेड इत्यादि की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, पांचवा वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध खाता संख्या 20033022788 में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/184 दिनांकः 04.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹27.53 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/174 दिनांकः–29.04.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]1 व [redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2752561.32 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	एस.डी.पी / एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2024	170702
2	वी.के.वी.एन.वाइ	31.03.2024	72322
3.	एम.पी.लेड	31.03.2024	100777
4.	आर.जी.एस.ए	31.03.2024	298269
5	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	2110491.32
		कुल जोड	**2752561.32**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/176 दिनांकः 30.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो

सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.42 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त करणों के परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/174 दिनांकः 29/04/2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकरं की मद में ₹42400/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/177 दिनांकः–30.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी नियमित वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर/सम्पत्तिकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/177 दिनांकः–30.04.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः सम्पत्तिकर/गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 सम्पत्ति कर/गृहकर से प्राप्त आय ₹660/- को बैंक में जमा न करवानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को संबंधित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गाहलियां की सम्पति कर की रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹660 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में कम जमा करवाये गये थे।

क्र0सं0	रसीद संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय राशि (₹)	बैंक में जमा राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	0077701 से 007800	26	28760	57400	660
2	271601 से 271700	27	29300		
		जोड	**58060**	**57400**	**660**

यह न केवल गंभीर अनियमितता है, अपितु आपतिजनक भी है, जिससे कि पंचायत स्वः स्त्रोतो की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त राशि को बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/178 दिनांकः 01.05.2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत गाहलियां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि को बैंक में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे अविलम्ब निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

6.4 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गाहलियां द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि
1.	2022–23	4400
2	2023–24	3200
	जोड	7600

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/177 दिनांकः 30.04.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गाहलियां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में एकत्रित राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.63 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत गाहलियां के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** में दिए गए विवरणानुसार ₹4,62,881/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/180 दिनांकः–03.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः कृत व्यय हेतु नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारणों से अवगत करवाते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹13.46 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गाहलियां के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संकलित राशि ₹13,45,735/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/181 दिनांकः–03.05.2024 द्वारा अनुरोध

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में स्टॉक रजिस्टर तैयार कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.07 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹107079.87/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/183 दिनांकः–03.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत,बजरी,वोल्डर से संबंधित एम फॉर्म निविदाता से मांगा जायेगा अथवा नोटिस द्वारा सूचित किया जायेगा व वसूली कर ली जायेगी। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट

पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण बारे सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति, नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. मनरेगा अनुदान के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या– SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA- 5684-5808 , Dated:-25-05-2022 के अनुसार The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula%&Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost के अनुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा करवाये गये कार्य में उक्त नियमानुार भुगतान न करके निम्न विवरणानुसार ₹11013 का अधिक भुगतान किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर स0/दि0	बिल स0/दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1मनरेगा	निल/21.06.2023	15/निल	नि0 गउशाला प्रीतम चन्द की जमीन वार्ड–7	41217 (24730+24730 X2/3)	52230	11013

उक्त मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/179 दिनांकः 02.05.2024 द्वारा पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी निर्माण कार्य हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके तथा संबंधित खाते में जमा करवा दी जायेगी। प्रस्तुत प्रतिउतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अधिक किये गये भुगतान बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 राशि ₹11.90 लाख के निर्माण कार्यो से संबन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता।

ग्राम पंचायत गाहलियां के नमूना अकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरणानुसार तकनीकी सहायक स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यो के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य

आदेश, प्राक्कलन इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव मे उक्त कर्मचारी के स्तर पर किये गये कार्यो व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र0 सं0	**अवधि**	**अनुदान**	**निर्माण कार्य**	**स्वीकृत राशि**	**अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गये**
1.	2022–23	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड धीमान बस्ती से मेन रोड तक घंडु	300000	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,
2	2022–23	मनरेगा	निर्माण वाटर कोर्स ईश्वरदास के शौचालय से रुम्बल पेड वार्ड–2	300000	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, काय 'आदेश, प्राक्कलन,
3	2022–23	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड रेन शेल्टर परविन्द्र सिंह की जमीन से रहेड बस्ती	290000	कार्यआदेश, प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,
4	2022–23	मनरेगा	नि0एम्बुलेन्स रोड पक्की सडक से बनारसी दास के घर तक	300000	कार्यआदेश, प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,
			कुल योग	**1190000**	

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/184 दिनांकः–04.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा सूचित किया कि उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79 (2) की अनुपालना सुनिश्चित न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण कार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गाहलियां में School Campus Development से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 06/2023 के दौरान पाया गया कि उक्त वर्णित निर्माण कार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गाहलियां में School Campus Development के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान शीर्ष एम.पी.लेड, वाउचर संख्या 01 दिनांक 28.06.2023 द्वारा ₹83018/–का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में पड़ताल हेतु टेंडर अभिलेख, तुलनात्मक विवरण, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत गाहलियां से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/182 दिनांकः–03.05. 2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अभिलेख विकास खण्ड कार्यालय कांगडा में जमा है। अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये व हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1.60 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं

किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1,60,468/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/184 दिनांकः 04.05.2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत गाहलियां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः– उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के मनरेगा व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदानों के व्यय से संबंधित है।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "4(घ)" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट – ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/184 दिनांकः 04.05.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गाहलियां को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/174 दिनांकः 29.04.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण

नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	मांग व संग्रह रजिस्टर	10	33
12	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/174 दिनांकः 29.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 04.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत गाहलियां द्वारा नहीं किया गया था, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत गाहलियां के चयनित मास व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित कर न ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपा अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/पृ0

3090-3094 02 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)406/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गाहलियां, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/पृ0

ANNEXURE -1 पैरा संख्या 4.1 (5)

FINANCIAL POSITION OF GP GHALLIAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	380001.32	716406.00	1096407.32	704537.00	391870.32
2023-24	391870.32	402094.00	793964.32	417799.00	376165.32

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2417840.80	5165985.00	7583825.80	4554784.00	3029041.80
2023-24	3029041.80	3953615.50	6982657.30	4230095.98	2752561.32

24

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या "5.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP GHALLIAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	TSC	2022-23	30227.00	362.00	30589.00	30589.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SDP/MMGPY	2022-23	104411.00	152615.00	257026.00	141261.00	115765.00
		2023-24	115765.00	253608.00	369373.00	198671.00	170702.00
3	VKVNY	2022-23	21346.00	50000.00	71346.00	23719.00	47627.00
		2023-24	47627.00	48448.00	96075.00	23753.00	72322.00
4	MPLAD	2022-23	810922.00	12553.00	823475.00	666116.00	157359.00
		2023-24	157359.00	266524.00	423883.00	323106.00	100777.00
5	RGSA	2022-23	3814.48	164.00	3978.48	30960.00	-26981.52
		2023-24	-26981.52	541201.00	514219.48	215950.48	298269.00
6	15TH FC	2022-23	1447120.32	1579396.00	3026516.32	291244.00	2735272.32
		2023-24	2735272.32	551373.00	3286645.32	1176154.00	2110491.32
7	MNREGA	2022-23	0.00	3370895.00	3370895.00	3370895.00	0.00
		2023-24	0.00	2292461.50	2292461.50	2292461.50	0.00

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या– "4.1 (ख)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गाहलियां विकास खण्ड कॉंगड़ा,जिला कॉंगड़ा हि0प्र0 176029

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत गाहलियां के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक गाहलियां	20033022788	380001.32	453430.32
2	टी.एस.सी	का•के•सह•बैंक गाहलियां	50055726593	30227	0
3	एस.डी.पी / एम.एम. जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक गाहलियां	50055717635	104411	170702
4	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक गाहलियां	20111026435	21346	53315
5	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक गाहलियां	50055718016	810922	89119
6	आर.जी.एस.ए	पी.एन.बी दौलतपुर	9835000100037484	3814.48	0
7	आर.जी.एस.ए	इंडसइंड बैंक कॉंगड़ा	100167415010	0	325419
8	जेड.पी	का•के•सह•बैंक गाहलियां	20111028625	78943	16214
9	15वॉं वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक कॉंगड़ा	50100358478260	1447120.32	2110491.32
	हस्तगत शेष			0	36
			कुल जोड.	**2876785.12**	**3218726.64**

26

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या– "6.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत गाहलियां विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176029

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 600 तथा 2023–24 में 600 परिवारों का रु100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	60500	600	100	60000	120500	115900	4600
2023-24	4600	600	100	60000	64600	22200	42400
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹42400/– है।						

परिशिष्ट–"5" (पैरा संख्या –"7.1")

ग्राम पंचायत गाहलियां विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	P/7/04.05.2022	Installation Handpump Motor	37/26.09.2021	M/sPitambraa Pump&Electrical upper Chatreta Bassi			55000	स्टॉक प्रविष्टि ,निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2.MNREGA	Nil/17.05.2022	Lemon	2306/09.11.2021	M/S Madan Fruit Plants Jole Paplah	100	105	10500	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Orange			110	115	12650	
		Kinu			120	115	13800	
3.MNREGA	Nil/17.05.2022	Lemon	2304/09.11.2021	do	105	105	11025	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Orange			105	115	12075	
		Galgal			132	105	13860	
4.MNREGA	Nil/17.05.2022	Lemon	2302/09.11.2021	do	165	105	17325	उपरोक्त
		Orange			165	115	18975	
5.MNREGA	Nil/21.05.2022	Orange	2303/09.11.2021	do	100	115	11500	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Bheda			70	105	7350	
		Harad			65	105	6825	
		Aambla			90	125	11250	
6.MNREGA	Nil/21.05.2022	Saagwan	2309/09.11.2021	do	119	125	14875	स्टॉक प्रविष्टि व निविदायें (सागवान) प्रस्तुत नहीं की गई
		Paplar			70	105	7350	
		Tuni			70	105	7350	
		Kher			70	105	7350	
7.MNREGA	Nil/17.05.2022	Nimbu	2310/09.11.2021	do	59	105	6195	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये (सागवान) प्रस्तुत नहीं की गई
		Santra			59	115	6785	
		Aamb			50	125	6250	
		kathul			59	105	6195	
		Aambla			50	125	6250	
		saagwan			43	125	5375	
8.MNREGA	Nil/21.05.2022	Paplar	2313/09.11.2021	do	270	105	28350	स्टॉक प्रविसिट प्रस्तुत नहीं की गई
9..MNREGA	Nil/17.05.2022	Paplar	2311/09.11.2021	do	165	105	17325	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये (सागवान) प्रस्तुत नहीं की गई
		Saagwan			158	125	19750	
10..MNREGA	Nil/21.05.2022	Kinnu	2312/09.11.2021	do	50	115	5750	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Nimbu			200	105	21000	
		Aamb			50	125	6250	
11..MNREGA	Nil/21.05.2022	Aamb	2307/09.11.2021	do	50	125	6250	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Tuni			70	105	7350	
		Kher			70	105	7350	
		Galgal			76	105	7980	
		Nimbu			76	105	7980	
12.MNREGA	Nil/17.05.2022	Santra	2308/09.11.2021	do	58	115	6670	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Galgal			58	105	6090	
		Nimbu			58	105	6090	
		kathul			58	105	6090	
		Tuni			58	105	6090	
		Kher			58	105	6090	
13..MNREGA	Nil/17.05.2022	Santra	2305/09.11.2021	do	160	115	18400	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Kinnu			160	115	18400	
14.MNREGA	Nil/17.05.2022	Concrete Board with writing	721/09.11.2021	M/S Magic Base Concrete works Kachhiari Kgr			3000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15.MNREGA	Nil/17.05.2022	Concrete Board	719/09.11.2021	do			3000	उपरोक्त
16..MNREGA	Nil/17.05.2022	Concrete Board	717/09.11.2021	do			3000	उपरोक्त
17.MNREGA	Nil/17.05.2022	Concrete Board	718/09.11.2021	do			3000	उपरोक्त
18.MNREG	Nil/17.05.202	Concrete	725/09.11.2	do			3000	उपरोक्त

A	2	Board	021					
19.MNREGA	Nil/17.05.2022	Fence Post	900/09.11.2021	do	25	328	8200	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
20.MNREGA	Nil/21.05.2022	Concrete Board	728/09.11.2021	do			3000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
21.MNREGA	Nil/17.05.2022	Concrete Board	726/09.11.2021	do			3000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
22..MNREGA	Nil/21.05.2022	Concrete Board	727/09.11.2021	do			3000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
23.MNREGA	Nil/21.05.2022	Concrete Board	722/09.11.2021	do			3000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
24..MNREGA	Nil/21.05.2022	Concrete Board	729/24.11.2021	do			3000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
25..MNREGA	Nil/21.05.2022	Sand	248/28.02.2022	M/s Chetan Singh Govt.Contr Gahlian Kgr	388cft	46	17848	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये (दो निविदायें प्रस्तुत) प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			736cft	35	25760	
26.MNREGA	Nil/21.05.2022	Sand	227/24.10.2021	do	368cft	46	16928	उपरोक्त
		Agg.			777cft	35	27195	
27.MNREGA	Nil/21.05.2022	Sand	228/24.10.2021	do	300cft	46	13800	उपरोक्त
		Agg.			833cft	35	29155	
28..MNREGA	Nil/21.05.2022	Sand	229/31.12.2021	do	695cft	46	31970	उपरोक्त
		Agg.			1388cft	35	48580	
29..MNREGA	Nil/21.05.2022	Sand	226/24.10.2021	do	498cft	46	22908	उपरोक्त
		Agg.			1050cft	35	36750	
30..MNREGA	Nil/21.05.2022	Sand	230/30.12.2021	do	368cft	46	16928	उपरोक्त
		Agg.			736cft	35	25760	
31.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	187/06.08.2021	do	12Cu3	1693	20316	उपरोक्त
		Agg.			24.37	1058	25783	
32.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	361/22.03.2023	do	15.49Cu3	1111	17209	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			7.5Cu3	1236	9270	
		Agg.			21.82Cu3	1236	26969	
33.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	355/22.03.2023	do	15.48Cu3	1111	17198	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			8Cu3	1236	9888	
		Agg.			21.32Cu3	1236	26351	
34.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	356/22.03.2023	do	15.49Cu3	1111	17209	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			8Cu3	1236	9888	
		Agg.			21.32Cu3	1236	26351	
35.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	359/23.06.2023	do	9.61Cu3	1111	10676	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			4Cu3	1236	4944	
		Agg.			14.20Cu3	1236	17551	
36.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	371/22.03.2023	do	13.56Cu3	1111	15065	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			5Cu3	1236	6180	
		Agg.			20.68Cu3	1236	25560	
37.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	357/22.03.2023	do	16.55Cu3	1111	18387	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			8Cu3	1236	9888	
		Agg.			23.34Cu3	1236	28848	
38.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	354/22.03.2023	do	12.51Cu3	1111	13899	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			6Cu3	1236	7416	
		Agg.			19.03Cu3	1236	23521	
39.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	360/22.03.2023	do	10.42Cu3	1111	11577	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			5Cu3	1236	6180	
		Agg.			15.85Cu3	1236	19590	
					36Cum3	766	27576	
40.MNREGA	Nil/23.06.2023	Sand	353/22.03.2023	do	16.02Cu3	1111	17798	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			8Cu3	1236	9888	
		Agg.			22.34Cu3	1236	27612	
						G/Total	**1345735**	

नोट: क्रम संख्या 1, 6(भाग-1), 7(भाग-1), 8(भाग-2), 19
व 25-31 तक की औपचारिकताओं

परिशिष्ट-6 (पैरा संख्या- 7.3)

ग्राम पंचायत गाहलियां, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per	Due Royality
1.MNREGA								
M/s Chetan Singh G.Contractor Gahlian	Nil/21.05.2022	248/28.02.2022	Sand	10.987	1.62	17.799	80	1423.92
			Bajri	20.841	1.52	31.678	80	2534.27
do	Nil/21.05.2022	227/24.10.2021	Sand	10.421	1.62	16.882	80	1350.56
			Bajri	22.002	1.52	33.443	80	2675.44
do	Nil/21.05.2022	228/24.10.2021	Sand	8.495	1.62	13.762	80	1100.95
			Bajri	23.588	1.52	35.854	80	2868.30
do	Nil/21.05.2022	229/31.12.2021	Sand	19.680	1.62	31.882	80	2550.53
			Bajri	39.303	1.52	59.741	80	4779.24
do	Nil/21.05.2022	226/24.10.2021	Sand	14.102	1.62	22.845	80	1827.62
			Bajri	29.732	1.52	45.193	80	3615.41
do	Nil/21.05.2022	230/30.12.2021	Sand	10.421	1.62	16.882	80	1350.56
			Bajri	20.841	1.52	31.678	80	2534.27
do	Nil/21.05.2022	187/06.08.2021	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	24.370	1.52	37.042	80	2963.39
do	Nil/23.06.2023	361/22.03.2023	Sand	15.490	1.62	25.094	80	2007.50
			Bajri	29.320	1.52	44.566	80	3565.31
do	Nil/23.06.2023	355/22.03.2023	Sand	15.480	1.62	25.078	80	2006.21
			Bajri	29.320	1.52	44.566	80	3565.31
do	Nil/23.06.2023	356/22.03,2023	Sand	15.490	1.62	25.094	80	2007.50
			Bajri	29.320	1.52	44.5664	80	3565.31
do	Nil/23.06.2023	359/23.06.2023	Sand	9.610	1.62	15.568	80	1245.46
			Bajri	18.200	1.52	27.664	80	2213.12
do	Nil/23.06.2023	371/22.03.2023	Sand	13.560	1.62	21.967	80	1757.38
			Bajri	25.680	1.52	39.034	80	3122.69
do	Nil/23.06.2023	357/22.03.2023	Sand	16.550	1.62	26.811	80	2144.88
			Bajri	31.340	1.52	47.637	80	3810.94
do	Nil/23.06.2023	358/29.03.2023	Stone	4.214	2.24	9.439	80	755.15
do	Nil/23.06.2023	354/22.03.2p23	Sand	12.510	1.62	20.266	80	1621.30
			Bajri	25.030	1.52	38.046	80	3043.65
do	Nil/23.06.2023	360/22.03.2023	Sand	10.420	1.62	16.880	80	1350.43
			Bajri	20.850	1.52	31.692	80	2535.36
			Stone	36.000	2.24	80.640	80	6451.20
do	Nil/23.06.2023	353/22.03.2023	Sand	16.020	1.62	25.952	80	2076.19
			Bajri	30.340	1.52	46.1168	80	3689.34
							Total	**85663.90**
							25% Penalty	**21415.97**
							G.Total	**107079.87**